पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

प्रदेश के 09 जनपदों में 11 गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 08 करोड़ 81 लाख 32 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊ : 02 जुलाई, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश के 09 जनपदों में 11 नवीन गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 08 करोड़ 81 लाख 32 हजार रूपये की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपद अमेठी के सेमरौता, भदोही के नारेपार, बदांयू के गुठैला, कुशीनगर के कोहरवलिया, कानपुर देहात के बम्हरौली घाट बागर, रायबरेली के हेवतहा नेवढ़िया और धूता, बांदा के जलालपुर बांगर, मिर्जापुर के खरिहट कला और बबुरा रघुनाथ सिंह तथा मथुरा के मगौरा में गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना में किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र हेतु 80.12 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है कि गो संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि से वृहद गो–संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र–निधि वर्मा

वैशाली माथुर/04:25 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in